



No.:

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
PANDIT SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH, BILASPUR

विवरणिका

## Information Brochure



Ph.D.  
in  
**REGULAR MODE**

पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा, 2017

**Ph.D. Entrance Test, 2017**



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)  
KONI-BIRKONA ROAD, BILASPUR (C.G.)

फोन नं. (07752) 210312, 210309, फैक्स (07752) 213073

Website : [www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) Email : [info@pssou.ac.in](mailto:info@pssou.ac.in)

## सत्य के मत डिगो, चाहे जियो या मरो



छत्तीसगढ़ के “गाँधी” के रूप में विख्यात तथा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम कल्पनाकार पण्डित सुन्दरलाल शर्मा जी का जन्म विक्रम संवत् 1938 (21 दिसम्बर, 1881 ई.) को ग्राम—चमसूर, राजिम में हुआ। राजनीति के साथ—साथ वे सामाजिक कार्यों का भी निर्वहन करते थे। आप समाज में व्याप्त कुरीतियों, छुआछूत एवं जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। आप छत्तीसगढ़ के अछूत एवं पिछड़ी जातियों को समाज में उचित स्थान और सम्मान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। आप स्वतंत्रता आंदोलन के वीर सिपाही थे। बहुआयामी प्रतिभा के धनी पण्डित सुन्दरलाल शर्मा 28 सितम्बर 1940 ई. को चिरनिद्रा में निमग्न हुए, इनकी स्मृति को विरस्मरणीय बनाए रखने हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर रख इन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।

**“उच्च-शिक्षा आपके द्वार”**

**पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur**

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 02 (F) में सम्मिलित एवं छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
(Included under section 02(f) of the UGC Act 1956 and Established by Chhattisgarh Government Act 26/2004)



**पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा, 2017  
Ph.D. Entrance Test, 2017**

---

**Regular mode Ph.D. Programme in the University has been permitted by  
the UGC vide its letter no. F-130/2015 (VIP/PS), dated. 03.11.2016**

---

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009  
Koni-Birkona Road, Bilaspur (C.G.) 495009  
फोन नं. 07752-210312, 210309 फैक्स (07752) 213073

Website : [www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in)  
Email : [info@pssou.ac.in](mailto:info@pssou.ac.in)



University Grants Commission  
Bahadur Shah Zafar Marg  
New Delhi - 110002

No.F.1-130/2015(VIP/PS)

3<sup>rd</sup> November, 2016

The Vice-Chancellor,  
Pt. Sundarlal Sharma (Open) University,  
Chhattisgarh, Bilaspur.

- 4 NOV 2016

Subject : Permission to re-start M.Phil/Ph.D programmes under regular mode as per  
UGC Regulations 2016 - reg

Sir,

This is with reference to your letter No. 55/PSSOU/UGC/16 dated 1.9.2016 submitting therewith an affidavit fully notarized by CG 14/13/5-2-03 dated 2.9.2016 signed by Dr. R.K. Sachdev, presently working as Registrar of your University to the effect that University will strictly follow UGC (Minimum Standards and procedure for Award of M.Phil/Ph.D) Regulations 2016 and will be abide by all its clauses in toto.

In this context, I am directed to convey the permission to start M.Phil/Ph.D programme under regular/part-time mode by the University subject to the condition that the essential clauses of UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulations 2016 (copy enclosed) pertaining to eligibility criteria for admission to M.Phil/Ph.D programme, duration of programme, procedure for admission, allocation of Research Supervisor, Course Work, Research Advisory Committee, Evaluation and Assessment Methods and Depository with INFLIBNET must be followed in letter and spirit.

In case if there is any deviation in implementing the clauses of UGC Regulations, 2016, the permission would be deemed to be treated as withdrawn. Above permission is subject to the condition that Act/ Statute/ Ordinance/Rule of the University provide for the same.

Yours faithfully

*Satish Kumar*  
(Satish Kumar)  
Under Secretary

## FROM THE DESK OF VICE-CHANCELLOR



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

फोन नं. (आ.) 07752-210312 (नि.) 424329

फैक्स (07752) 213073, 424329

Email : vc@pssou.ac.in



प्रिय शोधार्थी,

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में आयोजित होने वाली पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु आपका स्वागत है।

हम सब इस बात से अवगत हैं कि विश्व भर में विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न क्षेत्रों - साहित्यिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, तकनीकी इत्यादि में शोध कार्य हो रहे हैं। हम इन शोधों से प्राप्त परिणामों से लगातार समाज को समोन्नत बना रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र जिन्हें मनुष्य की सोच से परे समझा जाता था उन विषयों में भी शोध हो रहे हैं; यह शोधार्थियों की जीजिविषा ही है जिन्होंने जगत के विभिन्न क्षेत्रों में आपनी सूक्ष्म शोध-दृष्टि डाली है।

मुझे पूरा विश्वास है कि आप समाज को आपनी शोधपरक दृष्टि से नई शोध आकांक्षा के अनुसृप नई दिशा दे पाएंगे। आपके सुनिश्चित शोध लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश में यह विवरणिका अत्यंत उपयोगी होनी तथा विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पी-एच.डी. पाठ्यक्रमों के लिए आपका मार्गदर्शन करेगी।

मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में समय-समय पर आवश्यक और उपयोगी जानकारियों, दिशानिर्देश जो आपके शोध कार्य की शुणवत्ता बनाने में सहायक हों, उन्हें उन्नत बनाएंगे। विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपका स्वागत करते हुए आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

प्रो. बंश गोपाल सिंह  
कुलपति



## CONTENTS

S.No	Particulars	Page No
1	About the University (विश्वविद्यालय-एक परिचय)	1
2.	Research work (शोध कार्य)	1-3
3.	Fee Structure (शुल्क विवरण)	4
4.	Syllabus for Ph.D. Entrance Test, 2017 (पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2017 हेतु पाठ्यक्रम)	5
4.1.	Hindi (हिंदी)	5-6
4.2.	English (अंग्रेजी)	7-9
4.3.	Education (शिक्षा)	9-11
4.4.	Psychology (मनोविज्ञान)	11
4.5.	Management (प्रबंधन)	12
4.6.	Political Science (राजनीति विज्ञान)	12-14
4.7.	Library & Information Science (ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान)	14-19
5.	Application Form for Ph.D. Entrance Test (पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र)	
6.	Admit-Card (प्रवेश-पत्र)	



# 1. ABOUT THE UNIVERSITY

विश्वविद्यालय - एक परिचय

## 1 विश्वविद्यालय की स्थापना

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 26 सन् 2004 द्वारा की गई। माननीय राज्यपाल की अनुमति से इस अधिनियम को 20 जनवरी, 2005 को लागू किया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र क्र. 20 रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी, 2005 (माघ 4, शक 1926) में किया गया।

## 2 विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

- इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विकासखंडों में विश्वविद्यालय के दूरस्थ “शिक्षा सामुदायिक ज्ञानार्जन केंद्र” (अध्ययन-केंद्र) की स्थापना की गई है। जिन क्षेत्रों में उच्च-शिक्षा प्राप्ति हेतु महाविद्यालय नहीं हैं, उन क्षेत्रों में अध्ययन-केंद्रों की स्थापना करना विश्वविद्यालय का सर्वोपरि उद्देश्य है।
- विश्वविद्यालय में प्रवेश के नियम, अध्ययन-अवधि, विषय-चयन जैसी प्रक्रियाओं को अधिक सरल एवं लचीला बनाने का प्रयास किया गया है।
- विश्वविद्यालय दूरवर्ती शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से युवा-वर्ग की बढ़ती आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है, जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से उच्च-शिक्षा के लाभ से वंचित रहते हैं, उन्हें भी गुणात्मक उच्च-शिक्षा प्राप्त करने का विश्वविद्यालय के माध्यम से अवसर प्राप्त होगा। इस पद्धति से ग्रामीण-अंचल के लोग, दलित-वर्ग, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग जो सुदूर नगरों एवं महानगरों में जाकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उन्हें ज्ञानवर्धक एवं रोजगार-परक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उनके सांस्कृतिक, चारित्रिक, मानसिक एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने, महिलाओं, विकलांगों एवं सेवारत व्यक्तियों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु विश्वविद्यालय निरतर प्रयासरत है, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समय-समय पर संपर्क एवं परामर्श कक्षाओं के आयोजन से शिक्षार्थी अपनी कठिनाइयाँ दूर कर सकेंगे।
- विश्वविद्यालय अधिनियम क्रमांक 06 के अनुसार - विश्वविद्यालय धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान या भाषा भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा।
- ‘उच्च-शिक्षा आपके द्वारा के बोधवाक्य का अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय ने दूरस्थ-शिक्षा सामुदायिक ज्ञानार्जन केंद्र (अध्ययन-केंद्र) दूरस्थ आदिवासी अंचलों में स्थापित किए हैं। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य दूरवर्ती-शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से युवा-वर्ग की बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति, रोजगारोन्मुखी एवं गुणात्मक उच्च-शिक्षा उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालय योग्य एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार अध्ययन-सामग्री उपलब्ध करवाता है, तथा उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ-शिक्षा की वर्तमान अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयासरत है।
- दूरस्थ-शिक्षा प्रणाली के प्रभावशाली संचालन हेतु संपर्क कक्षा एवं प्रायोगिक कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। इन महाविद्यालयों के अध्ययन-केंद्रों, कम्प्यूटर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को अध्ययन हेतु प्राध्यापकों के अनुभवों का लाभ प्रदान करवाया जाता है।

# 2. RESEARCH WORK

## शोध कार्य

- UGC द्वारा शोध कार्यक्रम की अनुमति पत्रक्रमांक F.1-130/2015(VIP/PS) दिनांक 03.11.2016 द्वारा भिलने के पश्चात् विश्वविद्यालय अपने अध्यादेश क्र. 02 (संशोधित) के आधार पर रेग्लर मोड (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) में पी-एच.डी.कार्यक्रम शुरू कर कर रहा है।

**योग्यता:** ऐसे इच्छुक विद्यार्थी जिन्होंने संबंधित विषय में रनातकोत्तर की उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत या ग्रेड 'बी' के समकक्ष के साथ उत्तीर्ण। अनु.जा./ अनु.ज.जा / दिव्यांग वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) के लिए 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

